भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या – 485

(जिसका उत्तर मंगलवार, 12 अगस्त, 2014 को दिया गया)

<u>कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी अनिवार्य कार्यकलाप</u>

***485. डा. प्रदीप कुमार बालमुचू :**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सभी कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी कार्यकलाप को अनिवार्य बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी किए गए कार्यकलापों की जांच करने हेतु क्या सरकार एक पृथक विभाग बनाए जाने की भी योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)

(क) से (घ) : एक विवरण सदन पटल पर रख दिया गया है।

*****

कंपनियों द्‌वारा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी अनिवार्य कार्यकलाप से संबंधित दिनांक 12.08.2014 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 485 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) : कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत, कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी कंपनियों के लिए कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) अधिदेशित नहीं है। लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 135(1) के तहत किसी एक वित्तीय वर्ष में पांच सौ करोड़ रुपए या अधिक के निवल मूल्य वाली अथवा एक हजार करोड़ रुपए या अधिक का कारोबार करने वाली अथवा पांच करोड़ रुपए या अधिक का शुद्ध मुनाफा कमाने वाली कंपनी बोर्ड की एक कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति गठित करेगी और सीएसआर कार्यकलाप करेगी।

(ग) और (घ) : जी, नहीं।

*****